निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

रण संख्या –04/2021(प्रा0प0) **दिनांकः–**13/6/2022

अनवान

नाथु पिता किशना जाति माली उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

----प्रार्थी

।। **बनाम** ।।

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोड़गढ़
2. चंपालाल पिता भेरा माली मृतक के बजाय

2/1 कालु पिता स्व. चंपालाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी भादसोडातहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

2/2 जगदीश पिता स्व. चंपालाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि :–

यह किग्राम भादसोडा प0ह0 भादसोडा में स्थित साबिक आ0नं0 1267 रकबा 10 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी एवं दिगर खातेदारान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही बाद में उक्त आराजीयात का कोर्ट द्वारा पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवाडा किया जाकर प्रार्थी के हिस्से में आ0नं0 1267/4 रकबा 2 बिस्वा कृषि भूमि आई जिस पर प्रार्थी साबिक रेकार्ड एवं साबिक नक्शे अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि उक्त आराजीयात का बंटवाडा की डिक्री न्यायालया द्वारा पारित होने के पश्चात सेटलमेंट अधिकारियों ने प्रार्थी के साबिक आ0नं0 1267/4 रकबा 2 बिस्वा कृषि भूमि के नवीन

उपखण्ड अधिकारी

आराजी नम्बर 1529/1 बनाये जबकि प्रार्थी वर्तमान में नवीन आराजी नम्बर 1529/3 पर साबिक रेकार्ड अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है और इसी तरह सेटलमेंट कर्मचारियो को दौराने सेटलमेंट प्रार्थी को नवीन आराजी नम्बर 1529/3 पर दर्शाना था परंतु ऐसा नहीं कर आ0नं0 1529/3 पर चंपा पिता भेरा माली को दर्शा दिया ओर प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड में नवीन आ0नं0 1529/1 पर दर्शा दिया और इसी के आधार पर नक्शे में भी त्रुटि करते हुए नक्शा तरमीम कर दिया। जिससे यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड एंव नक्शे में त्रुटि को दुरूस्त कराये जाने हेतु पेश किया है।

यह कि सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की आराजीयात के राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में की गई त्रुटि के कारण प्रार्थी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है साथ ही उसे कई प्रकार की दिक्कतो का सामना करना पड रहा है।इस कारण राजस्व रेकार्ड में की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में आ.नं. 1529/1 के बजाय 1529/3 पर दर्शाया जाकर इसी अनुसार नक्शे में भी तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यह कि इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियो को प्रार्थी के खातेदारी मे निहित भूमि के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थी की आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शे में मनमर्जी के मुताबिक परिवर्तन करते हुए प्रार्थी के आराजीयात के नक्शे में परिवर्तन कर दिया है यह सब संबंधित कर्मचारियो ने भूमि के नक्शे में हेर फेर करते हुए गंभीर त्रुटि कारित कर दी है जिससे प्रार्थी के हितों एवं अधिकारों पर विपरीत असर पडा है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यह कि दिनांक 26.06.2020 को प्रार्थी द्वारा पटवार हल्का से उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा की नकल प्राप्त करने से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा हुई जो निरंतर जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड में ग्राम भादसोडा की आ.नं. 1529/1 के बजाय 1529/3 पर दर्शाया जाकर इसी अनुसार नक्शे में भी तरमीम किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मनतलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद सुचना अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया। मनन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात के नवीन राजस्व नक्शे में सेटलमेंट कर्मचारियो ने बिना किसी आधार एवं आदेश के प्रार्थी केसाबिक रेकार्ड अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे की तरमीम आ.नं. 1529/3 के बजाय 1529/1 पर कर दी है जो गलत है। अतः प्रार्थी के साबिक रेकार्ड एवं मौके पर काबिज अनुसार तरमीम 1529/3 पर की जाकर सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित कराया है कि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड वादग्रस्त आराजीयात को सेटलमेंट कर्मचारियो ने गलत जगह तरमीम कर दिया है। अतः प्रार्थी की आराजीयात के नक्शे की तरमीम कब्जे अनुसार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेजके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि मौजा ग्राम भादसोडा प०ह० भादसोडा तहसील भदेसर की साबिक आ०नं० 1267 रकबा 2 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1529/1 कायम किये गये परंतु प्रार्थी साबिक रेकार्ड अनुसार 1529/3 पर काबिज होकर काश्त कर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

रहे है। प्रार्थी की आराजीयात के राजस्व नक्शे की तरमीम दौराने सेटलमेंट गलत जगह कर दी है जिसके निराकरण हेतु आ0नं0 1529/1 के बजाय आ0नं01529/3 की तरमीम प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कि जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है।इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में अमलदरामद किया जावे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मेंटंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर